सं.सीबीएसई/समन्वय/परीक्षा 2023/ दिनांक: 09.02.2023

सीबीएसई से संबद्ध
विद्यालयों के प्रमुख
(सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

विषय: मूल्यांकन हेतु शिक्षकों की कार्यमुक्ति
प्रिय प्रधानाचार्य,
आप जानते हैं कि परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण चरण त्रुटि मुक्त मूल्यांकन है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्यांकन पूर्णतया त्रुटिरहित हो, मूल्यांकन की एक सुदृढ़ नीति बनाई गई है। इस वर्ष, दसवीं कक्षा के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन की गुणवत्ता बनाए रखने लिए, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकनकर्ताओं की सहायता के लिए AHE (मूल्यांकनकर्ताओं) के रूप में एक पीजीटी (भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान) और पीजीटी (भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान) को प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। आगे गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए मूल्यांकन की जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या मुख्य विषयों (एमएम 80_70 आदि वाली) में 20 प्रति दिन और शेष विषयों में 25 (कम एमएम वाली) निर्धारित की गई है। तथापि, बिल्कुल त्रुटिरहित मूल्यांकन केवल समर्पण, ईमानदारी और मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता मूल्यांकनकर्ताओं की उपलब्धता के साथ सुनिश्चित किया जा सकता है।

मूल्यांकनकर्ताओं के क्षमता निर्माण के लिए न केवल मूल्यांकन में शामिल प्रत्येक पदाधिकारी/ कार्यकर्ता के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं बल्कि कई क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव भी है। इसके अलावा अद्यतन जानकारी के लिए लघु वीडियो भी तैयार किए जा रहे हैं।

मूल्यांकन लगभग 10-12 दिनों तक सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक किया जाएगा। इस अवधि के दौरान, प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा उपरोक्त वर्णित 20/25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाना है। 20/25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 8 घंटे की अवधि में किया जाना है। मूल्यांकनकर्ता पूरे 08 घंटे बिताएंगे और उन्हें समय समाप्ति से पहले मूल्यांकन केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

तदनुसार, सभी स्कूलों (प्रधानाचार्य एवं प्रबंधन) को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार अपने शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया जाता है। शिक्षकों को उनके विषय के मूल्यांकन के सभी दिनों के लिए कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र (अनुलग्नक-I) जारी कर पूर्णकालिक रूप से कार्यमुक्त किया जाए। इसी प्रकार मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को कार्यमुक्त करने का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/प्रबंधन का होगा, जैसे ही मूल्यांकन समाप्त होगा, मुख्य नोडल पर्यवेक्षक (सीएनएस) भी शिक्षकों को कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-II) जारी करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का प्रधानाचार्य और प्रबंधन द्वारा कड़ाई से पालन किया जाए और इन निर्देशों की किसी भी अवहेलना को मूल्यांकन प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने वाला माना जाएगा और बोर्ड द्वारा गंभीर कार्रवाई की जाएगी जिसमें विद्यालय की संबद्धता वापस लेना, व्यक्तिगत वित्तीय दंड और स्कूल के परिणाम की घोषणा न करना शामिल हो सकता है।

भवदीया

हस्ता./-
(निधि छिब्बर)

अनुलग्नक – I

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र

(स्कूल द्वारा परीक्षक कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र)

1.	शिक्षक का नाम (जिन्हें कार्यमुक्त किया जाना है)	
2.	पदनाम (टीजीटी/पीजीटी)	
3.	पढ़ाई गई कक्षाएं (X/XII)	
4.	कुल अनुभव	
5.	अर्हता	
6.	ड्यूटी का स्थान अर्थात, मुख्य नोडल पर्यवेक्षक (सीएनएस) (स्कूल का नाम व पता)	
7.	कार्यमुक्ति की तिथि व समय	
8.	जब सीएनएस पर मूल्यांकन ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है (तिथि व समय)	

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिया गया विवरण स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार है और मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। वह बोर्ड के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए पूरी तरह से सक्षम है।

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर ___________________

नाम __________________________________

विद्यालय की मुहर

दिनांक ________________

स्थान _________________

अनुलग्नक – II

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड		
कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र **(मुख्य नोडल पर्यवेक्षक द्वारा परीक्षक कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र)**		
1.	शिक्षक का नाम (जिन्हें कार्यमुक्त किया जा रहा है)	
2.	पदनाम (टीजीटी/पीजीटी)	
3.	ड्यूटी का स्थान अर्थात, मुख्य नोडल पर्यवेक्षक (सीएनएस) (स्कूल का नाम व पता)	
4.	नोडल केंद्र पर मूल्यांकनकर्ता के रूप में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने की तिथि और समय	
5.	सीएनएस द्वारा नोडल केंद्र से मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्यमुक्त होने की तिथि और समय	
6.	जब अपने स्कूल में पुनः कार्यभार ग्रहण करने के लिए निर्देशित किया गया (तिथि व समय)	
मुख्य नोडल पर्यवेक्षक/प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर ____________________ नाम ____________________________________ विद्यालय की मुहर		
दिनांक _________________ स्थान ___________________		